पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 06.05.2015 तक सीलबंद निविदा आमंत्रित की गयी है निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. प्रशिक्षण अवधि प्रत्येक जनपद पंचायत के लिये पृथक–पृथक एक दिवस की होगी।
2. प्रशिक्षण में त्रिस्तरीय पंचायत हेतु नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण,सचिव , रोजगार सहायक एवं उपयंत्री प्रतिभागी होंगे।
3. प्रशिक्षण जनपद पंचायत मुख्यालय पर आयोजित होंगे। स्थल व्यवस्था तथा प्रतिभागियों की उपस्थिति का दायित्व संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।
4. प्रशिक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली तथा वितरण की जाने वाली सामग्री चयनित प्रशिक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।
5. निविदाकर्ताओं द्वारा जनपद पंचायतवार प्रशिक्षण कार्य की दरें सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे।
6. प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम अंतर्गत पंचायतों को सौंपे गये 23 विभागों द्वारा संचालित योजनाओं,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजनाओं ,पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993,पंचायत पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार , कैशबुक तथा अन्य पंजियों के संधारण आदि समस्त बिन्दुओं पर आधारित होगा। (उक्त बिन्दुओं के आधार पर एक दिवसीय कालखण्ड पद्वति आधारित संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।)
7. निविदा के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम देय 1000.00 का डीडी अनिवार्यतः संलग्न किया जावे।
8. निविदा विषयक जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें भी शामिल रहेंगी।
9. निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त निविदायें निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में 07.05.2015 को दोपहर 12.00 को खोली जावेगी।
10. निविदा पृथक–पृथक 02 भागों में होगी। पृथम भाग में संस्था के पूर्व प्रशिक्षण अनुभव के विषय में एवं द्वितीय भाग में वित्तीय दरों का जनपद पंचायतवार स्पष्ट उल्लेख होगा। गठित समिति द्वारा इन्ही आधार पर निविदाओं का परीक्षण किया जावेगा।
11. प्राप्त समस्त निविदाओं की स्वीकृति /अस्वीकृति पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिण्डौरी का होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत डिण्डौरी